बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०1/वि०3–73/2014 45 पटना, दिनांक: 19/03/2021

कार्यालय आदेश

मो०एस०एम०परवेज कादरी, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, इस्माईलपुर, भागलपुर संप्रति सेवानिवृत के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–201805 दिनांक–18.09.2014 के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक–139(प्र०)/सी० दिनांक–28.08.2014 द्वारा प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं०–50 सहपठित ज्ञापांक–349 दिनांक–24.03.2015 द्वारा श्री कादरी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी । उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), भागलपुर को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भागलपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। जिला पदाधिकारी, भागलपुर के ज्ञापांक–1564/सी० दिनांक–06.06.2015 द्वारा अपर समाहर्त्ता, भागलपुर को संचालन पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया जिसके आलोक में निदेशालय के का०आ०सं० –217 सहपठित ज्ञापांक–1344 दिनांक–20.08.2015 द्वारा अपर समाहर्त्ता, भागलपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। इस विभागीय कार्यवाही को निदेशालय के का०आ०सं०–128 सहपठित ज्ञापांक–1700 दिनांक–25.08.2020 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी) के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही में परिवर्तित किया गया।

2. मो०एस०एम०परवेज कादरी के विरूद्ध निम्न आरोप गठित किये गये :–

" (i) वरीय उपसमाहर्त्ता,जिला स्थापना शाखा भागलपुर के पत्रांक –733 दिनांक–25.05.2012 द्वारा श्री अरूण कुमार वर्मन, लिपिक, तत्कालीन प्रखंड कार्यालय, नाथनगर सम्प्रति निर्धारित मुख्यालय प्रखंड कार्यालय, इस्माईलपुर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी के रूप में अपर समाहर्त्ता, विभागीय जॉच,भागलपुर एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में आपको नामित किया गया। श्री वर्मन के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में अपर समाहर्त्ता, विभागीय जॉच, भागलपुर के पत्रांक–112 दिनांक–28.08.2012 से आरोपी कर्मी के द्वारा समर्पित कारण पृच्छा स्पष्टीकरण पर विन्दुवार प्रतिवेदन साक्ष्य के साथ समर्पित करने हेतु आपको निदेशित किया गया, परन्तु आपके द्वारा बिन्दुवार प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया।

(ii). अपर समाहर्त्ता, विभागीय जॉच, भागलपुर के अनेक पत्रों द्वारा प्रतिवेदन साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने हेतु स्मारित किया गया। अनकों स्मारों के बावजूद भी आपने ऐसे महत्वपूर्ण कार्यो को नजरअंदाज करते हुए पत्रांक–619 दिनांक–13.10.2012, पत्रांक–427 दिनांक–20.08.2013 एवं पत्रांक–583 दिनांक–14.11.2013 द्वारा प्रतिवेदित किया कि आरोपी कर्मी ने निलंबन के पश्चात् आपके कार्यालय में योगदान नहीं किया है और न ही किसी प्रकार का कागजात ही जमा किया है, फलस्वरूप आपको आरोपी

131

कर्मी के संबंध में कोई जानकारी नहीं है तथा आपके द्वारा अनुरोध किया गया कि आरोपी कर्मी के संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार पूर्ववर्ती कार्यालय नाथनगर प्रखंड तथा जिला स्थापना शाखा, भागलपुर से की जाय। साथ ही आपके द्वारा यह भी अनुरोध किया गया कि स्वयं को किसी प्रकार के पत्राचार या कार्रवाई से मुक्त किया जाय।

(iii) आपके द्वारा अपने पत्रांक– 41 दिनांक–18.01.2004 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री अरूण कुमार वर्मन, लिपिक, तत्कालीन प्रखंड कार्यालय, नाथनगर सम्प्रति प्रखंड कार्यालय, इस्माईलपुर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में संचालन पदाधिकारी द्वारा भेजा गया आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरण वाला पत्र बाढ़ के कारण प्रखंड इस्माईलपुर मे ही रह गया था,जिसके कारण ससमय प्रतिवेदन भेजने में विलंब हुआ। अब चूँकि यह कार्यालय इस्माईलपुर में चल रहा है, तो श्री वर्मन के संचिका अध्ययन के पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक– 668 दिनांक–30.12.2013 द्वारा बिन्दुवार प्रतिवेदन संचालन पदाधिकारी को भेज दिया गया। आपका यह प्रतिवेदन दिग्भ्रमित एवं स्वेच्छाचारिता को परिलक्षित करता है।

आपके द्वारा पूर्व प्रेषित प्रतिवेदन जिसमें यह कहा गया कि श्री वर्मन आपके कार्यालय में योगदान ही नहीं दिये तो पुनः पत्रांक–41 दिनांक–18.01.2014 द्वारा कैसे प्रतिवेदित किया गया कि वर्मन की संचिका का अध्ययन के पश्चात् आपके द्वारा संचालन पदाधिकारी को स्पष्टीकरण पर बिन्दुवार प्रतिवेदन भेजा गया।

आपके द्वारा ससमय ऐसे महत्वपूर्ण कार्यो पर संज्ञान न लेकर सिर्फ तथ्यों से हटकर प्रतिवेदन भेजा गया, जो उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीन को स्पष्ट परिलक्षित करता है । प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी होने के नाते आपका दायित्व था कि विभागीय कार्यवाही के संचालन में सहयोग करें, परन्तु आपके द्वारा असहयोग की नीति अपनाने के कारण विभागीय कार्यवाही का संचालन लंबे समय तक बाधित रहा।

(iv). बिहार सकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के अधीन बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या–1112 दिनांक–12.07.05 भाग–6 के क्रमांक–17 की कंडिका–11 में यह नियमन प्रावधान दिया गया है कि प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का यह दायित्व है कि आरोपी कर्मी पर लगे आरोपों के संबंध में वे अपना विन्दुवार साक्ष्य प्रतिवेदन संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। आपके द्वारा सरकारी अनुदेश की अनदेखी एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना की गई है जो एक गम्भीर आरोप की श्रेणी में आता है।

आपका यह आचरण घोर निन्दनीय एवं एक जिम्मेदार पदाधिकारी के लिए अशोभनीय है। यह कृत्य श्री वर्मन को अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत लाभ पहुँचाने की ओर इंगित करता है। प्रथम द्रष्टा आपका यह कृत्य गंभीर श्रेणी के आरोप में आता है।"

3. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, भागलपुर के पत्रांक–1751 रा० दिनांक–08.06.2020 द्वारा समर्पित संचालन प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी ने निम्न मंतव्य दिया है :–

"(i) आरोप, आरोपित पदाधिकारी का स्पष्टीकरण तथा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के आलोक में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर समर्पित जॉच मंतव्य से यह आरोप प्रमाणित पाया जाता है।

(ii) आरोप, आरोपित पदाधिकारी का स्पष्टीरकरण तथा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के आलोक में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर समर्पित जाँच मंतव्य से यह आरोप प्रमाणित पाया जाता है।

(iii) आरोप, आरोपित पदाधिकारी का स्पष्टीकरण तथा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के आलोक में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर समर्पित जाँच मंतव्य से यह आरोप प्रमाणित पाया जाता है।

(iv) आरोप, आरोपित पदाधिकारी का स्पष्टीकरण तथा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के आलोक में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर समर्पित जाँच मंतव्य से यह आरोप प्रमाणित पाया जाता है।"

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा मो० कादरी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में सभी आरोप प्रमाणित पाये जाने के समर्पित जॉच प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के तहत मो० कादरी से निदेशालय के पत्रांक–1493 दिनांक–03.07.2020 द्वारा अभ्यावेदन की मॉग की गयी। अभ्यावेदन अप्राप्त रहने पर समाचार पत्र दैनिक जागरण में दिनांक–23.12.2020 को प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया गया जिसमें मो०एस०एम०परवेज कादरी को सूचित किया गया कि वे इस प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दस दिनों के अन्दर संचालन पदाधिकारी के समर्पित संचालन–सह–जॉच प्रतिवेदन पर अपना अभ्यावेदन अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को देना सुनिश्चित करें; अन्यथा यह माना जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, और निदेशालय एकतरफा अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र होगा। समाचार पत्र दैनिक जागरण में दिनांक–23.12.2020 को प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन होने के बावजूद मो० कादरी से अभ्यावेदन अबतक अप्राप्त है। इससे स्पष्ट होता है कि मो० कादरी इस मामले में अपना अभ्यावेदन नहीं देना चाहते हैं। श्री कादरी द्वारा श्री वर्मन के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), भागलपुर के पत्रांक–112 दिनांक–28.08.2012 से आरोपी कर्मी के द्वारा समर्पित कारण पृच्छा स्पष्टीकरण पर बिन्दुवार प्रतिवेदन साक्ष्य के साथ समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया था, लेकिन उनके द्वारा प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया था। उक्त से स्पष्ट है कि श्री कादरी वरीय पदाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के आदि रहे हैं।

5. उक्त वर्णित प्रमाणित आरोपों के लिए संचालन प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मो० एस०एम०परवेज कादरी पर उनके पेंशन का 5 % (पाँच प्रतिशत) राशि पॉच वर्षो तक के लिए कटौती करने का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

129

6. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार मो०एस०एम०परवेज कादरी, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, इस्माईलपुर, भागलपुर संप्रति सेवानिवृत पर बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी) मे किये गये प्रावधान के तहत उनके पेंशन का 5 % (पाँच प्रतिशत) राशि पाँच वर्षो तक के लिए कटौती करने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

(बैद्यनाथ यादव) 19/03/2021
निदेशक

ज्ञापांकः– स्था०1/वि०3–73/2014 445 पटना, दिनांक :– 19/03/2021

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।
3. जिला पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. कोषागार पदाधिकारी ,सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. सहायक निदेशक(स्थापना)/सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवयश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. मो०एस०एम०परवेज कादरी, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, इस्माईलपुर, भागलपुर संप्रति सेवानिवृत, पता नं०–1. फ्लैट नं०–3, जफर मेन्सन अपार्टमेन्ट, नियर ब्लू डायमंड होटल, जामुन गली, सब्जीबाग, पटना–800004, पता नं०–2. 101, पार्कव्यू अपार्टमेन्ट, सालिमपुर अहरा, साउथ गाँधी मैदान, पटना–800003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 19/3/2021

0175 स्था0 1 (का0आ0) (08 मार्च 2021) मो0एस0एम0 परवेज कादरी.